फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 25/2025

श्री नारायण बनाम श्री कालू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
11/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी आज। अप्रार्थी को उपस्थित होने का अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 13/5/25 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र 212 R.T.Act पर बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी अभि. द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में प्रार्थी के प्रा.पत्र के समर्थन में किसी प्रकार का कोई ठोस व गलगुत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई युक्ति युक्त कारण स्पष्ट नहीं किया। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी